# न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(आर.सी.ढेनवाल,आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 1/2019
प्रविष्टि दिनांक 3–1–2019

1–भॅवरलाल पुत्र किशनलाल जाति गूर्जर निवासी बनेठा तह0 उनियारा जिला–टोंक
2–देवकरण पुत्र भॅवरलाल जाति गूर्जर निवासी बनेठा तह0 उनियारा जिला–टोंक
3–धोलू पुत्र भॅवरलाल जाति गूर्जर निवासी बनेठा तह0 उनियारा जिला–टोंक

–अपीलान्ट्स

बनाम

नायब तहसीलदार बनेठा जिला–टोंक राजस्थान

–रेस्पोडेण्ट

**अपील अन्तर्गत धारा 75 रा0ले0रे0एक्ट विरूद्ध निर्णय न्यायालय नायब तहसीलदार बनेठा दिनांक 13–12–2018 अन्तर्गत धारा 91राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956**

उपस्थिति : (1) श्री राजकुमार मीना अभिभाषक अपीलान्ट्स
(2) श्री जुगनु शर्मा, राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेण्ट

## निर्णय

दिनांक 7–3–2019

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बनेठा ने अपने आदेश दिनांक 13.12.2018 के द्वारा अपीलान्ट्स को भूमि खसरा नम्बर 3534 रक्बा 0.05 है0 खसरा नम्बर 3548 रक्बा 0.20 है0 वाके ग्राम बनेठा पर अतिक्रमण मानकर शास्ति कायम कर भूमि से बेदखल कर 3 माह के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया है। अपीलान्ट्स ने नायब तहसीलदार बनेठा के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने हेतु अपील प्रस्तुत की है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट्स एंव राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट्स ने दोराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलान्ट्स को सुनवाई का समूचित अवसर प्रदान नहीं किया है तथा जिस दिन के लिए नोटिस दिया गया था उसी दिन प्रकरण को निर्णित कर दिया एंव जवाब प्रस्तुत करने का भी अवसर नहीं दिया जिससे अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों विपरीत हे तथा चलने योग्य नहीं है। अपीलान्ट्स को धारा 91 ले0 रे0एक्ट के तहत संयुक्त रूप से कार्यवाही करके एक ही निर्णय द्वारा प्रकरण को निर्णित किया है जबकि इन प्रावधानों के अन्तर्गत पृथक पृथक नोटिस देकर कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। अपीलान्ट्स के अभिभाषक का यह भी कथन है कि अपीलान्ट्स का वादग्रस्त भूमि पर किसी प्रकार का अवैध कब्जा या अतिक्रमण नहीं है। अपीलान्ट्स द्वारा किसी नाले या पानी के निकास को अवरूध नहीं किया है ओर न ही अपनी खातेदारी की भूमि में नाले की भूमि को मिलाया है। मौके पर नाला अलग है जिसमें होकर के पानी का निकास बदस्तूर है,



जिला कलेक्टर

पटवारी हल्का द्वारा प्रार्थीगण के विरूद्व गलत शिकायत प्रस्तुत की है जो केवल रंजिश के कारण रिपोर्ट बना कर दी है। जबकि प्रार्थीण ने किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं किया है। अपीलान्ट्स के विरूद्व पूर्व में बेदखल करने का कोई साक्ष्य या निर्णय अस्तित्व में नहीं है पूर्व में भी प्रार्थीगण को किसी भी प्रकार से सुना नहीं गया है तथा भौतिक रूप से कभी बेदखल नहीं किया गया है तथा अपीलान्ट्स को सुना गया हो ऐसा कोई साक्ष्य भी नहीं है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की भूमि पर वर्षो से काबिज चले आ रहे हैं किसी भी नाले की भूमि पर अतिक्रमण या कब्जा नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने कानून का गलत अवलम्ब लेकर झूॅठी शिकायत पर भरोसा करके गलत रूप से निर्णय पारित किया है। अतः: अपील अपीलाण्ट्स स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

अपीलान्ट्स के विद्वान अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि सम्मन पर अपीलाण्ट्स की विधिवत तामिल हुई है। अतिक्रमी अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित हुए है तथा अपीलान्ट्स ने कब्जा हटाने के लिए समय मॉगा है जो दिया गया है। पटवारी हल्का ने रिपोर्ट में बताया कि अपीलान्ट्स ने नाले की भूमि पर से अपना कब्जा नहीं हटाया है। अपीलान्ट्स ने न्यायालय के समक्ष शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है जिसमें अकिंत किया है कि उक्त भूमि पर से अतिक्रमण हटा लिया है, जिससे साबित होता है कि अपीलान्ट्स ने उक्त आराजी पर कब्जा कर रख था। अपीलान्ट्स ने उक्त खसरा नम्बर पर जेसीबी मशीन से नाले में मिट्टी भरकर अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एंव उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट्स एंव राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एंव अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्ट्स को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया गया है। अपीलाण्ट्स की विधिवत रूप से तामील हुई है। अपीलाण्ट्स अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुए हैं तथा उन्होंने कब्जा हटाने के लिए समय मांगा है किन्तु कब्जा नहीं हटाया गया है। अपीलान्ट्स द्वारा सार्वजनिक उपयोग की राजकीय भूमि खसरा नम्बर 3534 रक्बा 0.05 है0 खसरा नम्बर 3548 रक्बा 0.20 है0 वाके ग्राम बनेठा पर नाले की भूमि पर जेसीबी मशीन से मिट्टी डाल कर नाले को बन्द कर अतिक्रमण किया है, ओर गत वर्ष भी अतिक्रमण किया था जो पटवारी हल्का की रिपोर्ट से सिद्व है। अपीलान्ट्स द्वारा जिस भूमि पर अतिक्रमण किया है वह राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 16 में प्रतिबंधित भूमि है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट्स अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 13–12–2018 को यथावत रखा जाता है। प्रार्थना पत्र स्थगन अस्वीकार किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 7–3–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आर.सी.ढेनवाल)
जिला कलेक्टर, टोक

जिला कलेक्टर
टोंक